रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2014/अग्रहायण 12, 1936
No. 646] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 14 अक्तूबर, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)

(तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2014

सा. का. नि. 868(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/ आरबी-2004) (जिसे इसके आगे मूल विनियमावली अथवा अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(i) ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **विनियम 18 में संशोधन**

वर्तमान विनियम 18, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"18. संयुक्त उद्यम (JV), पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) और स्टेप डाउन सहायक कंपनी (SDS) के शेयरों को गिरवी रखना

कोई भारतीय पार्टी भारत से बाहर के संयुक्त उद्यम (JV) अथवा पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) अथवा स्टेप डाउन सहायक कंपनी (SDS) के [भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम (JV) अथवा पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) में प्रत्यक्ष एवं स्टेप डाउन सहायक कंपनी (SDS) में परोक्ष रूप में धारित] शेयरों को अपने लिए (अर्थात् भारतीय पार्टी के लिए) अथवा अपने संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS)/स्टेप डाउन सहायक कंपनी (SDS) जिसके शेयर प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं, अथवा भारतीय पार्टी के किसी अन्य संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS)/स्टेप डाउन सहायक कंपनी (SDS) के लिए निधि आधारित अथवा गैर निधि आधारित सुविधा प्राप्त करने हेतु, गिरवी स्वरूप, भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा सरकारी वित्तीय संस्था अथवा समुद्रपारीय उधारदाता के पास प्रतिभूति के रूप में रखकर उन पर प्रभार सृजित कर सकती है।

बशर्ते कि

(ए) निधि आधारित अथवा गैर निधि आधारित सुविधा का मूल्य भारतीय पार्टी की वित्तीय प्रतिबद्धत्ता समझा जाए और भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धताएं, समय-समय पर, रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर रहे;

(बी) समुद्रपारीय उधारदाता से सुविधा लेने के मामले में, उसे बैंक के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित होना चाहिए; और

(सी) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों का पालन किया जाए।"

3. विनियम 18ए में संशोधन

वर्तमान विनियम 18ए निम्नलिखित द्वारा प्रतिष्ठापित किया जाएगा, अर्थात्:

"18ए घरेलू और विदेशी परिसंपत्तियों पर प्रभार का सृजन

(1) कोई भारतीय पार्टी अपनी परिसंपत्तियों [भारत में अपनी ग्रुप कंपनी, सहयोगी संस्था अथवा सहयोगी कंपनी, प्रवर्तक और/अथवा निदेशक की परिसंपत्तियों सहित] पर, भारत से बाहर के अपने संयुक्त उद्यम (JV), पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) अथवा स्टेप डाउन सहायक कंपनी (SDS) के लिए निधि आधारित और/अथवा गैर निधि आधारित सुविधा प्राप्त करने के लिए समुद्रपारीय उधारदाता के पास प्रतिभूति के रूप में (बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक या किसी अन्य रूप में) रखकर, उन पर प्रभार सृजित कर सकती है।

बशर्ते कि,

(ए) उक्त सुविधा का मूल्य भारतीय पार्टी की वित्तीय प्रतिबद्धत्ता समझा जाए और भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धताएं, समय-समय पर, रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर रहें;

(बी) मेजबान देश के कानून के तहत समुद्रपारीय उधारदाता बैंक के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता हो;

(सी) यदि घरेलू उधारदाता के पक्ष में घरेलू परिसंपत्तियों पर पहले से ही प्रभार सृजित किया गया हो, तो उससे एतदर्थ अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए; और

(डी) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों का पालन किया जाए।"

(2) कोई भारतीय पार्टी अपने लिए अथवा भारत से बाहर के अपने संयुक्त उद्यम (JV) अथवा पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) अथवा स्टेप डाउन सहायक कंपनी (SDS) के लिए निधि आधारित और/अथवा गैर निधि आधारित सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम (JV) अथवा पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) अथवा स्टेप डाउन

सहायक कंपनी (SDS) की परिसंपत्तियों को भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में (बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक या किसी अन्य रूप में) रख कर प्रभार सृजित कर सकती है।

बशर्ते कि,

(ए) उक्त सुविधा का मूल्य भारतीय पार्टी की वित्तीय प्रतिबद्धत्ता समझा जाए और भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धताएं, समय-समय पर, रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त उद्द्यम (JV), पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर रहें;

(बी) मेजबान देश के कानून के तहत समुद्रपारीय उधारदाता बैंक के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता हो;

(सी) यदि समुद्रपारीय उधारदाता अथवा घरेलू प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पक्ष में समुद्रपारीय परिसंपत्तियों पर पहले से ही प्रभार सृजित किया गया हो, तो उनसे एतदर्थ अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए; और

(डी) घरेलू प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा भारतीय पार्टी/जेवी/डब्लूओएस/एसडीएस को दी गई सुविधा बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों और अन्य दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित होती हो; और

(ई) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों का पालन किया जाए।"

[सं. फेमा. 322/आरबी-2014]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

<u>पाद टिप्पणी</u>:

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में 19 नवंबर, 2004 के जी.एस.आर.सं.757 (ई) के जरिये प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:

07 अप्रैल, 2005 के जी.एस.आर.सं.220(ई),

27 मई, 2005 के जी.एस.आर.सं.337(ई),

31 अगस्त, 2005 के जी.एस.आर.सं.552(ई),

06 सितंबर, 2006 के जी.एस.आर.सं.535(ई),

05 जनवरी, 2008 के जी.एस.आर.सं.13(ई),

25 मार्च, 2008 के जी.एस.आर.सं.209(ई),

24 सितंबर, 2008 के जी.एस.आर.सं.676(ई),

31 अक्तूबर, 2008 के जी.एस.आर.सं.756(ई),

20 फरवरी, 2009 के जी.एस.आर.सं.108(ई),

01 मई, 2009 के जी.एस.आर.सं.301(ई),

23 जून, 2009 के जी.एस.आर.सं.441(ई),

28 अगस्त, 2009 के जी.एस.आर.सं.609(ई),

03 अगस्त, 2012 के जी.एस.आर.सं.607(ई),

03 अगस्त, 2012 के जी.एस.आर.सं.609(ई),

31 दिसंबर, 2012 के जी.एस.आर.सं.947(ई),

29 मई 2013 के जी.एस.आर.सं.345(ई),

30 जुलाई, 2013 के जी.एस.आर.सं.516(ई),

05 अगस्त] 2013 के जी.एस.आर.सं.529(ई),

14 अगस्त, 2013 के जी.एस.आर.सं.552(ई),

07 मई, 2014 के जी.एस.आर.सं.323(ई) तथा

11 जुलाई, 2014 के जी.एस.आर.सं.489(ई).

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

NOTIFICATION

Mumbai, 14 October, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Third Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 868(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations 2004 (Notification No. FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004), as amended from time to time, (hereinafter called the Principal Regulations or the Notification), namely:-

1. **Short Title & Commencement:-**

(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Third Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 18

The existing Regulation 18 shall be substituted with the following, namely:

"**18. Pledge of Shares of Joint Venture (JV), Wholly Owned Subsidiary (WOS) and Step down Subsidiary (SDS)**

An Indian Party may create charge, by way of pledge, on the shares of Joint Venture (JV) or Wholly Owned Subsidiary (WOS) or Step Down Subsidiary (SDS) outside India [held directly by the Indian party in JV or WOS and indirectly in SDS] as a security in favour of an Authorized Dealer or a public financial institution in India or an overseas lender, for availing of fund based or non-fund based facility for itself (i.e. the Indian party) or for its JV / WOS / SDS whose shares have been pledged, or for any other JV / WOS / SDS of the Indian party.

Provided that

(a) The value of the fund based or non-fund based facility is reckoned as financial commitment for the Indian party and the total financial commitment of the Indian party remains within the limit stipulated by the Reserve Bank for overseas direct investments in the JV / WOS from time to time;
(b) In case of the facility from an overseas lender, it should be regulated and supervised as a bank; and
(c) Subject to the additional terms and conditions prescribed by the Reserve Bank from time to time."

3. Amendment to Regulation 18A

The existing Regulation 18A shall be substituted with the following, namely:

"**18A Creation of charge on domestic and foreign assets**

(1) An Indian party may create charge (by way of mortgage, pledge, hypothecation or otherwise) on its assets [including the assets of its group company, sister concern or associate company in India, promoter and / or director] in favour of an overseas lender as security for availing of the fund based and/or non-fund based facility for its Joint Venture (JV) or Wholly Owned Subsidiary (WOS) or Step Down Subsidiary (SDS) outside India.

Provided that

(a) The value of the facility is reckoned as financial commitment for the Indian party and the total financial commitment of the Indian party remains within the limit stipulated by the Reserve Bank from time to time for overseas direct investments in the JV / WOS;
(b) The overseas lender is regulated and supervised as a bank as per the law of the host country;
(c) A 'No Objection' is obtained from the domestic lender in whose favour if charge is already created on the domestic assets; and
(d) Subject to the additional terms and conditions prescribed by the Reserve Bank from time to time."

(2) An Indian party may create charge (by way of mortgage, pledge, hypothecation or otherwise) on the assets of its overseas JV or WOS or SDS in favour of an AD bank in India as security for availing of the fund based and/or non-fund based facility for itself or its JV or WOS or SDS outside India.

Provided that

(a) The value of the facility is reckoned as financial commitment for the Indian party and the total financial commitment of the Indian party remains within the limit stipulated by the Reserve Bank from time to time for overseas direct investments in the JV / WOS;
(b) The overseas lender is regulated and supervised as a bank as per the law of the host country;
(c) A 'No Objection' is obtained from the overseas lender or domestic AD bank in whose favour if charge is already created on the overseas assets;
(d) The facility extended by the domestic AD bank to the Indian party / JV / WOS / SDS is governed by the prudential norms and other guidelines issued by the Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank; and
(e) Subject to the additional terms and conditions prescribed by the Reserve Bank from time to time."

[No. FEMA/322/RB-2014]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI vide G.S.R. No. 757 (E) dated November 19, 2004 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:-

G.S.R. No. 220 (E) dated April 7, 2005,

G.S.R. No. 337 (E) dated May 27, 2005,

G.S.R. No. 552 (E) dated August 31, 2005,

G.S.R. No. 535 (E) dated September 6, 2006,

G.S.R. No.13 (E) dated January 5, 2008,

G.S.R. No. 209(E) dated March 25, 2008,

G.S.R. No.676 (E) dated September 24, 2008,

G.S.R. No.756 (E) dated October 31, 2008,

G.S.R. No.108 (E) dated February 20, 2009,

G.S.R. No. 301(E) dated May 1, 2009,

G.S.R. No. 441(E) dated June 23, 2009,

G.S.R. No. 609(E) dated August 28, 2009,

G.S.R. No. 607(E) dated August 3, 2012,

G.S.R. No. 609(E) dated August 3, 2012,

G.S.R. No. 947(E) dated December 31, 2012,

G.S.R. No. 345(E) dated May 29, 2013,

G.S.R. No. 516(E) dated July 30, 2013,

G.S.R. No. 529(E) dated August 05, 2013,

G.S.R. No. 552(E) dated August 14, 2013,

G.S.R. No. 323(E) dated May 07, 2014 and

G.S.R. No. 489(E) dated July 11, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.